# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

**प्रकरण क्रमांक–M-PRO-2025-03032**

**– समक्ष –**

श्री संजय शुक्ला, अध्यक्ष,
श्री धनंजय देवांगन, सदस्य,

श्री राजीव जायसवाल, पिता–श्री रंगलाल जायसवाल,
पमा–बेरियर चौंक चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ..... **आवेदक**

**विरूद्ध**

छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, संभाग–सक्ती,
द्वारा–(1) संपदा अधिकारी,
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–सक्ती,
पता–सामुदायिक भवन, ग्राम–सुनाडेरा,
पोस्ट–मंदौरकुला, जिला–सक्ती (छ.ग.)

(2) भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण प्रबंधन अधिकारी,
पता–पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक,
सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

(3) आयुक्त,
छ.ग. गृह निर्माण मण्डल,
पता–पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक,
प्रथम तल, सेक्टर–19, नवा रायपुर,
अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) ..... **अनावेदकगण**

**उपस्थिति :–**

(1) श्री अभिषेक झा, अधिवक्ता वास्ते अनावेदकगण।

**(प्रोजेक्ट–''अटल विहार योजना'', कुलीपोटा, जांजगीर)**

**आदेश**

**(दिनाँक–28/11/2025)**

आवेदक श्री राजीव जायसवाल, पिता–श्री रंगलाल जायसवाल, पता–बेरियर चौंक चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) के द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–31 एतद् पश्चात् अधिनियम एवं छ.ग. भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 एतद् पश्चात् नियम की कंडिका–35 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप–ङ (FORM-M) में आवेदन कर अनावेदकगण के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदक का कथन है कि आवेदक द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा अटल विहार योजना कुलीपोटा,

जांजगीर में अटल विहार योजनांतर्गत स्ववित्तीय ऑफर आधार पर निर्माणाधीन भवन क्रय करने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें समस्त इच्छुक स्वतंत्र पक्षकारों को आमंत्रित किया गया, जिसका आवेदन आवेदक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से दिनाँक 14.11.2024 को निर्माणाधीन भवन क्रमांक–सीनियर एम.आई.जी. टाईप 01/06 क्षेत्रफल 1533.30 वर्गफुट एवं सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल 1199.31 वर्गफुट को धरोहर राशि रूपये 3,72,000/– + 1,000/– एक्सिस बैंक से दिनाँक 16.11.2024 को आर.टी.जी.एस द्वारा जमा कर आबंटन हेतु निविदा प्रस्तुत किया गया है, जो कि उच्चतम राशि होने से स्वीकृत कर लिया गया एवं विभाग द्वारा दिनाँक 05.12.2024 को पत्र के माध्यम से शेष राशि रूपये 34,18,000/– को भवन निर्माण में प्रगति के साथ पांच किश्तों में जमा करने हेतु संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवेदक के नाम से ज्ञापन जारी किया गया। अनावेदक के निर्देशानुसार आवेदक द्वारा अनावेदक के खाता नं. –1212102000003339, आई.डी.बी.आई. शाखा–चांपा के खाते में आवेदक द्वारा प्रथम किश्त दिनाँक 26.03.2025 को चेक क्रमांक–014791 एवं 438292 के माध्यम से रूपये 7,58,000/– जमा कर दिया गया व द्वितीय किश्त दिनाँक 27.06.2025 को चेक क्रमांक–014788 के माध्यम से रूपये 7,58,000/– जमा कर दिया गया है। आवेदक द्वारा कुल जमा की गई राशि रूपये 3,72,000/– + 7,58,000 + 7,58,000/– कुल रूपये 18,88,000/– जमा किया जा चुका है। शेष राशि 19,02,000/– को तीन किश्तों में दिनाँक 30.09.2025, 31.12.2025 एवं 30.06.2026 को भवन निर्माण के प्रगति के अनुसार जमा करना शेष है। अनावेदक के द्वारा समय पर किश्त जमा नहीं करने की स्थिति में 8.15 प्रतिशत ब्याज की राशि एवं किसी कारण भवन निर्माण में विलंब होने की स्थिति में तय राशि में बढ़ोतरी करने के शर्तों के साथ ज्ञापन जारी किया गया है। चूँकि निर्माणाधीन भवन कॉलोनी के सामने जांजगीर–चांपा को जोड़ने वाला मेन रोड है, जो कि आगामी भविष्य में सड़क का चौड़ीकरण व सड़क की ऊंचाई बढ़ाने का है, जिससे निर्माणाधीन भवन मुख्य मार्ग से 08 से 10 फीट नीचे हो जायेगा, जिससे बाथरूम के पानी व बरसात का पानी निकासी में परेशानी होगी। अतः भवन निर्माण जमीन स्तर से कम से कम 8 फीट ऊपर करे, जिससे बरसात में व अन्य दिनों में पानी का निकासी आसानी से हो सके। आवेदक द्वारा निर्माणाधीन भवन का लगभग 50 प्रतिशत की राशि जमा किया जा चुका है। परन्तु आज दिनाँक तक न ही बाउंड्रीवाल का कार्य पूर्ण हुआ है और न ही आवेदक को आबंटित भवन को चिन्हांकित कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। दिनाँक 15.07.2025 को तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम किश्त को भवन प्लास्टर के पश्चात् जमा करने में छूट हेतु आवेदन कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मंडल, सक्ती प्रतिलिपि आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल, रायपुर भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, रायपुर एवं रेरा, रायपुर

को देने के लिये 30 दिन पश्चात् भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने पर दिनाँक 25.08.2025 को कलेक्टर जनदर्शन जांजगीर–चांपा के समक्ष उपस्थित होकर पुनः आवेदन किया गया, परन्तु सपंदा अधिकारी, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल द्वारा उक्त आवेदन में हठपूर्वक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने, भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने व भवन निर्माण में विलंब कि किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं देने एवं किश्तों में छूट संबंधी ज्ञापन जारी नहीं करने व आवेदक को आर्थिक एवं मानसिक परेशानी होने के कारण वाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुतोष की याचना की गई है। प्रश्नाधीन भवन का निर्माण कमिश्नर जाँच करवा कर निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करवाने, आगामी किश्तों को आदेश दिनाँक तक जमा करने का छूट दिलाये जाने हेतु अनावेदक को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा मानसिक क्षतिपूर्ति, वाद व्यय एवं आने–जाने का खर्च प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदकगण को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई–मेल के द्वारा भी नोटिस एवं दस्तावेज प्रेषित किये गये।

3. अनावेदकगण द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति में लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पोषणीय नहीं है। आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय से जो सहायता चाही गई है, उससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन पत्र माननीय प्राधिकरण के समक्ष पोषणीय नहीं है। आवेदक द्वारा आगामी किश्त जो उसे जमा करनी है, उस पर अंतरिम राहत चाही गई है। यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त किश्तों की राशि 2025 के 12वें महीने एवं 2026 के जून महीने की किश्तों की राहत चाही गई है। आवेदक का आवेदन पत्र प्रीमेम्योर है और निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र की कंडिका–4 में वाद पत्र के जो तथ्य उल्लेखित किये गये है, उसमें संभावनाओं के आधार पर कथन किये गये है, जो कि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा आवेदक द्वारा मंडल के नियमों एवं शर्तों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है। इस कारण से भी उपरोक्त आवेदन पत्र पोषणीय नहीं है। अनावेदक के नियम एवं शर्तों की कंडिका–17 में यह स्पष्ट है कि यदि कोई विवाद विलंब से संबंधित हो, तो पंजीयनकर्ता को पृथक से कोई ब्याज अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा तथा पंजीयनकर्ता को समस्त तथ्यों से अवगत कराकर कार्यवाही की गई थी और पंजीयनकर्ताओं के द्वारा शर्तों को स्वीकार किया गया था और उसके पश्चात् आबंटन किया गया था। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदन पत्र पोषणीय न होने के कारण से निरस्त किये जाने योग्य है।

अनावेदकगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की कंडिका–3 में किये गये कथन के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक के द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को नहीं है, इस संबंध में अनावेदकगण द्वारा प्रारंभिक आपत्ति में स्पष्ट किया गया है कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्राधिकरण के समक्ष पोषणीय नहीं है। इस कारण से आवेदक का आवेदन प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की कंडिका–4 एवं 5 में किये गये कथन के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक द्वारा कंडिका में जो निर्माणाधीन मकान कॉलोनी के सामने जांजगीर–चांपा को जोड़ने वाले मेन रोड के संबंध में जो कथन किया गया है, वह सही नहीं है। स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक द्वारा संपूर्ण योजना बनाकर और उसकी स्वीकृति लेकर कार्य किया जा रहा है और समस्त कार्य समस्त विभागों से स्वीकृति लेकर तथा नियमानुसार किया जा रहा है। आवेदक द्वारा अनावश्यक कथन इस संबंधमें किये गये है, जो औचित्यहीन है और बिना किसी आधार के है। स्पष्ट किया जाना भी आवश्यक है कि आवेदक के द्वारा कंडिका में जो कथन किये गये है, उसके संबंध में निम्नानुसार कथन किये जाते हैं :–

1. अटल विहार योजना कुलीपोटा, जांजगीर में प्रस्तावित 17 नग ई.डब्ल्यू.एस. 16 नग एल.आई.जी. एवं 28 नग सीनियर एम.आई.जी. कुल 61 नग आवासीय भवन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें श्री राजीव जायसवाल को ऑनलाईन ऑफर आधार पर सीनियर एम.आई.जी. टाईप। भवन क्रमांक–06 आबंटिति किया गया है, जिसमे अमानत राशि रूपये 3,72,000/– एवं पंजीयन शुल्क रूपये 1,000/– जमा किया गया है।

2. आबंटितियों को विलंब की स्थिति में जमा किये जाने वाले किश्तों में वृद्धि की स्वीकृति समय–समय पर दी गई है, जो निम्नानुसार है :–

- प्रथम संशोधित समयावृद्धि 03 आबंटितियों को उनके आवेदन पर प्रथम किश्त जमा करने में समयावृद्धि 31.01.2025 से बढ़ाकर दिनाँक 28.02.2025 बढ़ाया गया।
- द्वितीय संशोधित समयावृद्धि का विवरण :–

| क्र. | द्वितीय किश्त | | तृतीय किश्त | | चतुर्थ किश्त | | पंचम किश्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत देय दिनाँक | संशोधित देय दिनाँक | स्वीकृत देय दिनाँक | संशोधित देय दिनाँक | स्वीकृत देय दिनाँक | संशोधित देय दिनाँक | स्वीकृत देय दिनाँक | संशोधित देय दिनाँक |
| 1. | 31.03.2025 | 31.05.2025 | 30.06.2025 | 30.09.2025 | 31.12.2025 | – | 30.06.2026 | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 30.04. 2025 | 31.05. 2025 | 30.07. 2025 | 30.09. 2025 | 31.12. 2025 | — | 30.06. 2026 | — |

जिन आबंटितियों का द्वितीय किश्त जमा करने की अंतिम तिथि 31.03.2025 तक थी, उनको संशोधित समयावृद्धि का लाभ दिनाँक 31.05.2025 तक दिया गया था और श्री राजीव जायसवाल का द्वितीय किश्त जमा करने की तिथि 30.06.2025 है, इसलिये श्री राजीव जायसवाल को द्वितीय किश्त जमा करने में समयावृद्धि की आवश्यकता नहीं थी।

- तृतीय संशोधित समयावृद्धि का विवरण :–

| क्र. | द्वितीय किश्त | | तृतीय किश्त | | चतुर्थ किश्त | | पंचम किश्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत देय दिनाँक | संशोधित देय दिनाँक | स्वीकृत देय दिनाँक | संशोधित देय दिनाँक | स्वीकृत देय दिनाँक | संशोधित देय दिनाँक | स्वीकृत देय दिनाँक | संशोधित देय दिनाँक |
| 1. | 30.06. 2025 | 30.11. 2025 | 30.09. 2025 | 28.02. 2026 | 31.12. 2025 | 31.05. 2026 | 30.06. 2026 | 31.08. 2026 |
| 2. | 31.05. 2025 | 30.11. 2025 | 30.09. 2025 | 28.02. 2026 | 31.12. 2025 | 31.05. 2026 | 30.06. 2026 | 31.08. 2026 |

तृतीय संशोधित समयावृद्धि तालिका के संबंध में आबंटितियों को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है।

3. आबंटितियों को संशोधित देय तालिका की सूचना समय–समय पर दी जाती रही है।
4. श्री राजीव जायसवाल का आबंटन आदेश दिनाँक 05.12.2024 है। उनको तृतीय संशोधित समयावृद्धि तालिका के अनुसार किश्त जमा करना है और यदि निर्माण कार्य में विलंब की स्थिति में किश्त जमा करने में अतिरिक्त समयावृद्धि का लाभ दिया जायेगा।
5. श्री राजीव जायसवाल का आबंटन आदेश दिनाँक 06.12.2024 है। आबंटन आदेश की कंडिका–12 के अनुसार किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति पर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा तथा कंडिका–17 के अनुसार इस योजना को लेकर यदि कोई भूमि अथवा कोई न्यायालयीन विवाद है, तो योजना में विलंब हो सकता है, जिस हेतु पंजीयनकर्ता को पृथक से कोई ब्याज अथवा मुआवजा नहीं दिया जावेगा। ऐसे विवादों के कारण यदि आबंटन रद्द भी होता है, तो पंजीयनकर्ता को किसी प्रकार के ब्याज हानि/मुआवजा नहीं मिलेगी। इस शर्तों को पंजीयनकर्ता को मंजूर है, जानते हुये भवन का आबंटन किया जा रहा है। अन्यथा की स्थिति में पंजीयनकर्ता स्वतः पंजीयन रद्द/वापस करने हेतु जिम्मेदार होंगे। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा। निर्दिष्ट है।

6. आबंटिती द्वारा पंजीयन राशि रूपये 3,72,000/– प्रथम किश्त राशि रूपये 7,58,000/– एवं द्वितीय किश्त की राशि रूपये 7,58,000/– कुल राशि 18,88,000/– संपदा अधिकारी के खाते में जमा किया गया है।

7. आबंटन आदेश अनुसार विलंब से किश्त जमा करने पर रूपये 8.15 की दर से ब्याज के साथ किश्त की ऑनलाईन गणना की जाती है।

8. श्री राजीव जायसवाल द्वारा अटल विहार योजना कुलीपोटा, जांजगीर के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं होने व आवेदक द्वारा आपके निर्देशानुसार आबंटित भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं होने व आवेदक द्वारा आपके निर्देशानुसार आबंटित भवन सीनियर एम.आई.जी. टाईप 01/06 का पंजीयन धरोहर राशि के साथ तय समयसीमा में प्रथम एवं द्वितीय किश्त जमा करने पर भी भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने से लोन लेने में परेशानी आने पर आगामी तीन किश्त जब तक भवन का प्लास्टर न हो किश्त को जमा करने छूट प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके आधार पर उक्त देय किश्तों में संशोधित करते हुये श्री राजीव जायसवाल एवं अन्य आबंटितियों को सूचित किया जाता है।

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण प्री मेम्योर है एवं संभावनाओं पर आधारित है। इस कारण से आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक के द्वारा इन कंडिकाओं जो कथन किये गये है, वे संभावनाओं के आधार पर किये गये हैं। इस कारण से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की कंडिका–6 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक के द्वारा इस कंडिका में जो सहायता चाही गई है, वह संभावनाओं के आधार पर है, जिसका कोई भी विधिक महत्व नहीं है तथा आवेदक के द्वारा जो सहायता चाही गई है, वह प्री मेच्योर है, जिसका प्रमाण उक्त कंडिका में दिये गये तिथियों से है। इस कारण से आवेदक के द्वारा चाही गई अंतरिम सहायता पाने का वह अधिकारी नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदकगण द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं जवाबदावा, दस्तावेज के अवलोकन तथा प्रस्तुत तर्क का परिशीलन किये जाने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार विनिश्चिय के बिंदु निर्धारित किये जाते हैः–

1. क्या प्राधिकरण को प्रकरण में विचारण क्षेत्राधिकार है?
2. क्या आवेदक का आवेदन समय–सीमा के भीतर है?
3. क्या आवेदक को वांछित अथवा किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान किये जा सकते हैं, यदि हाँ, तो अनुतोष की मात्रा एवं उसका स्वरूप किस प्रकार होगा।

5. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक–01 के विनिश्चयन का आधार :–** आवेदक भू–संपदा प्रोजेक्ट अटल विहार योजना अंतर्गत भू–संपदा सीनियर एम.आई.जी.टाईप–01/06

क्षेत्रफल 1535.30 वर्गफीट का आबंटिती है एवं अनावेदकगण उक्त भू–संपदा प्रोजेक्ट का संप्रवर्तक है, उक्त भू–संपदा की लागत 37.90 लाख रूपये है। आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा–31, नियम–35 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा 50 प्रतिशत की राशि जमा की जा चुकी है, किंतु अनावेदकगण द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अतः किश्त की राशि जमा करने से छूट दिए जाने का निर्देश अनावेदकगण को दिया जाए। आबंटिती एवं संप्रवर्तक के मध्य विवाद की स्थिति है, अतः प्राधिकरण को आवेदन पत्र निराकरण की अधिकारिता है एवं विचारण क्षेत्राधिकार है।

6. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक–02 के विनिश्चयन का आधार :–** चूँकि आवेदक द्वारा 50 प्रतिशत प्रतिफल 18,88,000/– रूपये का भुगतान किया जा चुका है। भू–संपदा का निर्माण एवं हस्तांतरण नहीं हुआ है, अतः आवेदन पत्र समय–सीमा के भीतर है।

7. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक–03 के विनिश्चयन का आधार :–** आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुतोष की याचना की गई है कि भू–संपदा भवन का निर्माण कार्य अनावेदक द्वारा लागत राशि का 50 प्रतिशत जमा करने के उपरांत भी प्रारंभ नहीं किया गया है, अतः आवेदक को आगामी किश्त जमा करने में प्राधिकरण द्वारा अनावेदकगण को निर्देश दिया जाकर छूट प्रदान की जाए। भू–संपदा का निर्माण जमीन से 10 फीट की ऊँचाई पर है।

अनावेदकगण द्वारा आपत्ति की गई है, कि आवेदक को जो राशि जमा किया जाना है, उस अंतरिम राहत चाही गई है, जिसे प्रदान किए जाने की कोई अधिकारिता प्राधिकरण को नहीं है, उक्त आगामी किश्त दिसंबर वर्ष 2025 एवं जून 2026 में देय है, संभावनाओं के आधार पर प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

आबंटन आदेश क्रमांक–568/संपदा अधि./संपदा प्रबंधन/प्रक्षेप सक्ती, दिनाँक–05.12.2024 के पैरा में उल्लेखित है कि 'भवन निर्माण में किसी अपरिहार्य कारणों से विलंब नहीं होने पर भवन का आधिपत्य आबंटन आदेश के दिनाँक से 03 वर्ष में सौंपा जाएगा, आबंटन आदेश दिनाँक 05.12.2024 का है, इस प्रकार अनावेदकगण को दिनाँक 06.12.2027 तक प्रश्नगत भू–संपदा का आधिपत्य आवेदक को प्रदान किया जाना है।'

यद्यपि आवेदक द्वारा कहा गया है कि भू–संपदा का निर्माण कार्य प्रारंभ नही हुआ है किंतु तर्क के दौरान कहा गया कि प्लास्टर होने के उपरांत आगे की किश्त राशि उनके द्वारा दी जाएगी। आबंटन आदेश में ही प्रथम से पंचम किश्त तक देय दिनाँक एवं राशि का उल्लेख है, प्राधिकरण को अनावेदक संस्था के उक्त नियम एवं शर्तों में परिवर्तन का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अनावेदकगण

की यह आपत्ति स्वीकार्य योग्य है कि संभावनाओं के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। आवेदक का आवेदन अपरिपक्व स्थिति में होने के कारण वांछित अनुतोष प्रदान किया जाना प्राधिकरण द्वारा संभव नहीं है, अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

| | |
|---|---|
| सही/– | सही/– |
| **(धनंजय देवांगन)** | **(संजय शुक्ला)** |
| सदस्य | अध्यक्ष |